

उत्तर प्रदेश शासन  
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1  
संख्या- /1/1068732/2025/16-1099/76/2025  
लखनऊ दिनांक 26 अगस्त, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006 की धारा-4 के अन्तर्गत प्रख्यापित निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) समिति का गठन नियमावली-2008 की धारा-3 (1) अनुसार शासन के कार्यालय आदेश संख्या-2463/2008-सोलह-1-5-(डब्लू- 48)/2003 दिनांक 27.06.2008 द्वारा निजी क्षेत्र की अभियन्त्रण/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के फीस निर्धारण हेतु प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2. अधिनियम की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या- 4781/ सोलह-1-14(34)-2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा उ0प्र0 निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन विनियमावली-2015 निर्गत की गयी। उक्त नियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा/सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं में समिति द्वारा वर्ष 2017-18 (एक वर्ष) हेतु मानक शुल्क एवं मानक शुल्क से असन्तुष्ट संस्थाओं से प्राप्त प्रत्यावेदनों को निस्तारण करते हुए वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (कुल तीन वर्षों) के लिए मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया तथा वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (तीन वर्षों) के लिए मानक शुल्क एवं मानक शुल्क से असन्तुष्ट संस्थाओं से प्राप्त प्रत्यावेदनों को निस्तारण करते हुए वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (कुल तीन वर्षों) के लिए मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया।

3. शैक्षिक सत्र 2025-26 (एक वर्ष) हेतु समिति द्वारा दिनांक 05.08.2025 की सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा/सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु जनहित के दृष्टिगत वर्ष 2024-25 हेतु पूर्व निर्धारित मानक शुल्क को ही शैक्षणिक वर्ष 2025-26 (एक वर्ष) हेतु यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

4. उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2017-18 में सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (तीन वर्ष) तथा वर्ष 2018-19 में सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (तीन वर्ष) के लिए जिन संस्थानों का मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया था, उन संस्थानों हेतु शासन द्वारा पूर्व वर्ष 2024-25 की भांति शैक्षणिक वर्ष 2025-26 (एक वर्ष) के लिए पूर्व में निर्धारित शुल्क ही प्रभावी होगा।

Digitally signed by  
PRABHAKAR CHANDRA MISHRA  
Date: 26-08-2025 16:37:27

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)  
संयुक्त सचिव



संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले उ0प्र0।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
4. कुल सचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
6. निदेशक, समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
7. सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी।
8. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
9. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ।
10. सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से सम्बंधित संस्थानों को अवगत कराये।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)  
संयुक्त सचिव

प्रवेश और फीस नियमन समिति, उ0प्र0

गौतमबुद्ध मार्ग, बासमण्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ।

पृ0सं0- 5732-33/ प्र0फी0नि0स0/शुल्क आदेश/2025

द्वारा ई0मेल0  
दिनांक 27 अगस्त, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक/प्राचार्य, उ0प्र0 में संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा/सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं को उत्तर प्रदेश शासन प्राविधिक शिक्षा अनुभाग -1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-I/1068732/2025/16-1099/76/2025 दिनांक 26 अगस्त, 2025 के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0 शासन /अध्यक्ष प्रवेश और फीस नियमन समिति को महोदय के अवलोकनार्थ।

(डॉ० सन्तोष कुमार सिंह)  
सचिव



प्रसक,

राम गणेश,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
प्राविधिक शिक्षा,  
उत्तर प्रदेश कानपुर।

लखनऊ:दिनांक 20 अप्रैल, 2010

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3

विषय:- राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में शुल्क की दर संशोधित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11986/ई-प्लान-शुल्क पुनरी0 09-10 दिनांक 10-9-2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में सत्र 2003-04 में कार्यालय आदेश संख्या-1587/16-प्रा0शि0-3-03-246(बी)/91 दिनांक 20-6-2003 द्वारा छात्रों से लिये जाने वाला शुल्क की दरें संशोधित की गयी थी। छात्रों के तकनीकी प्रशिक्षण में प्रयुक्त होने वाले कच्चा माल, मशीनें एवं साज-सज्जा संयंत्रों के मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि हो जाने तथा छोटे वेतन आयोग की संस्तुतियाँ लागू होने आदि के फलस्वरूप श्री राज्यपाल महोदय उक्त कार्यालय आदेश को पुनरीक्षित करते हुए राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में शुल्क की दरें निम्नवत् निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	मद	वर्तमान शुल्क की दरें	पुनरीक्षित शुल्क की दरें
1	2	3	4
1	राजस्व शुल्क		
	1- शिक्षण शुल्क	6000.00	8000.00
	2- छात्रावास शुल्क	600.00	600.00
2	छात्रनिधि शुल्क		
	1-क्रीड़ा शुल्क	150.00	200.00
	2-वार्षिकोत्सव शुल्क	100.00	100.00
	3-सैत्रिक परीक्षा शुल्क	100.00	200.00
	4-मैगजीन शुल्क	100.00	120.00
	5-हॉबी सेन्टर शुल्क	50.00	200.00
	6-परिचय पत्र शुल्क	30.00	30.00



7-काशनमनी		
क-संस्थागत	200.00	200.00
ख-छात्रावास	200.00	200.00
8-प्रवेश फार्म एवं प्रवेश निबंधन	20.00	20.00
9-विद्युत शुल्क		
क-संस्थागत	700.00	800.00
ख-छात्रावास	700.00	800.00
10-अनुरक्षण शुल्क		
क-संस्थागत	0.00	500.00
ख-छात्रावास	400.00	500.00
योग	9350.00	12670.00

2- उक्त पुनरीक्षित दरें शैक्षणिक सत्र 2010-11 से लागू होगी।

भवदीय,

(राम गणेश)  
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक)
- 3- वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश कानपुर।
- 4- निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश कानपुर।
- 5- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद/संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा (द्वारा निदेशक)
- 7- समस्त राजकीय पालीटेक्निकों के प्रधानाचार्य।
- 8- वित्त (ई-11) अनुभाग /गोपन अनुभाग-1।
- 9- न्याय अनुभाग-1
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)  
अनुसचिव।